(b) what is the number of T.V. serials which are pending for the last three years, togetherwith their names;

(c) whether T.V. Serials 'Krishna' is one of them, if so, since when it has been pending; and

(d) what are the reasons for withholding its clearance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) and (b) Receipt of proposals for TV serials and their examination is an on-going process. Proposals are received and processed by various Doordarshan Kendras and also by the Directorate of Doordarshan. The information regarding pending serials is not kept centrally in a compiled form.

(c) and (d) Proposal for the serial 'Krishna', received tinder the New Sponsorship Scheme, 1990 has not been recommended by the Selection Committee.

राज्य विद्युत बोर्डों पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया धनराशि

4045. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
डा० नौनिहाल सिंह :
श्री गुफरान आजम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की राज्य विद्युत बोर्डों पर राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) सरकार ने इस बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

(ग) क्या राज्य सरकारों को देय धनराशि में से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के हिस्से की राशि का भुगतान करने की सरकार की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपने उपभोक्ताओं / राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करने में निरन्तर चूक की स्थिति में उनको विद्युत की आपूर्ति को विनियमित करने की अपनी योजना पर पुनर्विचार करेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैय्या नायडू) : (क) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड की ओर बकाया राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिए उठाए गए कदमों में एन०टी०पी०सी० के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा बारम्बार दौरे करना तथा राज्य बिजली बोर्डों एवं राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाना, बैठकें आयोजित करना, केन्द्रीय विनियोग के माध्यम से वसूली करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) 1990 में यह निर्णय लिया गया था कि 31-5-90 की स्थिति के अनुसार 1020.5 करोड़ रुपए की बकाया राशि को 255-255 करोड़ रुपए की चार वार्षिक किस्तों में केन्द्रीय विनियोग से वसूल किया जाए और आज तक एन०टी०पी०सी० द्वारा 765.41 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। इसके अलावा 1992 में यह निर्णय लिया गया था कि 1-6-90 और 31-5-92 की अवधि के बीच 745.31 करोड़ रुपए की बकाया राशि में जो बढ़ोत्तरी हुई है केन्द्रीय विनियोग से चार वार्षिक किस्तों में एन०टी०पी०सी० द्वारा आज तक 111.58 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार एन०टी०पी०सी० की बकाया राशियां

(करोड़ रुपयों में)

राज्य बिजली बोर्ड/संगठन	आज की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	अधिभार बिल	कुल बकाया राशि
उत्तर प्रदेश	*347.59*	*195.98*	*543.57*
राजस्थान	97.42	102.40	199.82
दिल्ली	119.18	53.08	172.26
पंजाब	50.03	1.12	51.15
हरियाणा	155.27	76.62	231.89
हिमाचल प्रदेश	13.47	6.87	20.34
जम्मू एवं कश्मीर	105.85	9.10	114.95
चंडीगढ़	1.37	.24	1.61
मध्य प्रदेश	110.28	140.48	250.76
महाराष्ट्र	110.49	47.21	157.70
गुजरात	69.51	44.22	113.73
गोवा	1.10	0.04	1.14
दादर एवं नगर हवेली	0.06	0.12	0.18
दमन और दीव	1.16	0	1.16
आंध्र प्रदेश	67.52	19.68	87.20
कर्नाटक	17.45	19.58	37.05
तमिलनाडु	72.60	33.22	105.82
केरल	21.90	13.39	35.29
पांडिचेरी	−1.65	0.02	−1.63
प० बंगाल	37.42	42.07	79.49
बिहार	270.09	137.68	407.77
उड़ीसा	27.65	17.43	45.08
दामोदर घाटी निगम	9.31	51.15	150.46
सिक्किम	0.30	0.01	0.31
जोड़ :	1795.37	1011.71	2807.08